संख्या– / XVIII(II)/2020–03(24)/2020

प्रेषक,

**सुशील कुमार,**
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**
चमोली।

**राजस्व अनुभाग–2**

देहरादूनः दिनांक 04 नवम्बर अक्टूबर, 2020

**विषयः– जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की नई अग्रिम चौकी कुंगलुंग हेतु 4.00 एकड़ भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–9074/छब्बीस–MB (2019–2020) गोपेश्वर, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की नई अग्रिम चौकी कुंगलुंग की स्थापना हेतु राजस्व ग्राम–नीती, रा0उ0नि0 क्षेत्र मलारी तहसील जोशीमठ जिला चमोली की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–43 में श्रेणी–9(3) ग–स्थाई पशुचर एवम चराई की अन्य भूमियां अन्तर्गत खसरा नम्बर 15 रकबा 3888.860 मध्ये 1.606 है0 (4.00 एकड़) को भा0ति0सी0 पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1,दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर की कुल धनराशि रू0 1,00,80,000.00 (एक करोड़ अस्सी लाख रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली, तहसील–जोशीमठ के राजस्व ग्राम–नीती, रा0उ0नि0 क्षेत्र मलारी तहसील जोशीमठ जिला चमोली की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–43 में श्रेणी–9(3) ग–स्थाई पशुचर एवम चराई की अन्य भूमियां अन्तर्गत खसरा नम्बर 15 रकबा 3888.860 मध्ये 1.606 है0 (4.00 एकड़) भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की नई अग्रिम चौकी कुंगलुंग की स्थापना हेतु भा0ति0सी0 पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क पट्टे पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

.....2

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो, भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

5– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि का श्रेणी परिवर्तन नियमानुसार अनुमन्य होने की स्थिति में इसकी श्रेणी परिवर्तन के पश्चात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल को आवंटित की जायेगी।

8– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 5% बनाये रखना आवश्यक होगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

.....3

संख्या–851/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– सेनानी, 08वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गौचर।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।